



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102025-267183
CG-DL-E-27102025-267183

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4733]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 24, 2025/ कार्तिक 2, 1947

No. 4733]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 2025/ KARTIKA 2, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4879(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उड़ीसा राज्य के जगतसिंहपुर जिले में NH55 के कि.मी. 318.00 से कि.मी.353.45 (बालिकुदा-मुलकनि) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् तहसीलदार, बालिकुदा को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर

द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य के जगतसिंहपुर जिले में NH55 के कि.मी. 318.00 से कि.मी.353.45 (बालिकुदा-मुलकनि) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उड़ीसा			जिले का नाम: जगतसिंहपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बालिकुदा					
गांव का नाम: अलाभर					
1	1003	निजी	चक	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
2	1004	निजी	चक	0.1619 (हेक्टेयर)	0.1619
3	1005	निजी	चक	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
4	1006	निजी	चक	0.0162 (हेक्टेयर)	0.0162
5	1007	निजी	चक	0.0324 (हेक्टेयर)	0.0324
6	1008	निजी	चक	0.011 (हेक्टेयर)	0.011
7	1013	निजी	चक	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
8	1014	निजी	चक	0.149 (हेक्टेयर)	0.149
9	1015	निजी	चक	0.0632 (हेक्टेयर)	0.0632
Total					0.4387

[फा. सं. RO/BBSR/11011/NH/IAHE/39/Smbp-Nuagaon/2017/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 2025

S.O. 4879(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH55 in the stretch of land from Km. 318.00 to Km. 353.45 (Balikuda - Mulakani) in the district of Jagatsinghpur in the state of ODISHA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Tahasildar, Balikuda in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH55 in the stretch of land from Km. 318.00 to Km. 353.45 (Balikuda-Mulakani) in the district of Jagatsinghpur in the state of ODISHA

State: ODISHA			District: Jagatsinghpur		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Balikuda					
Village: Alabhar					
1	1003	Private	Chaka	0.002 (Hectare)	0.002
2	1004	Private	Chaka	0.1619 (Hectare)	0.1619
3	1005	Private	Chaka	0.001 (Hectare)	0.001
4	1006	Private	Chaka	0.0162 (Hectare)	0.0162
5	1007	Private	Chaka	0.0324 (Hectare)	0.0324
6	1008	Private	Chaka	0.011 (Hectare)	0.011
7	1013	Private	Chaka	0.002 (Hectare)	0.002
8	1014	Private	Chaka	0.149 (Hectare)	0.149
9	1015	Private	Chaka	0.0632 (Hectare)	0.0632
Total					0.4387

[F. No. RO/BBSR/11011/NH/IAHE/39/Smbp-Nuagaon/2017/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director